राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 958/2024

रामसिंह सहरिया —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, बारां।
3. तहसीलदार, तहसील छाबड़ा, जिला बारां।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 27.02.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री एस.एन. मीणा, अधिवक्ता

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पटवारी के पद पर जिला उदयपुर में दिनांक 16.07.2019 को हुई थी। अपीलार्थी वर्तमान में पटवारी के पद पर पटवार मण्डल दीलोद, तहसील छबड़ा, जिला बारां में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.02.2024 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से पटवार मण्डल शेरगढ़ तहसील अटरू, जिला बारां में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के 60 कि.मी. दूर किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.02.2024 (अनुलग्नक—3) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी को यात्रा भत्ता एवं योगकाल भी नहीं दिया गया है। अपीलार्थी की माताजी वृद्ध है, जो अपीलार्थी पर ही निर्भर है। इनकी देखभाल करने वाला परिवार में अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट संख्या 6507/2021 डॉ. संजय प्रभूणे बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 10.04.2021 एवं माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 766/2020 जगदीश प्रसाद रैगर बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 02.09.2020 का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण भी समान बताया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा

तक अपास्त फरमाया जावें एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान पर कार्यरत रहने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील को ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में पटवारी के पद पर पटवार मण्डल दीलोद, तहसील छबड़ा, जिला बारां में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पटवार मण्डल दीलोद, तहसील छबड़ा, जिला बारां से पटवार मण्डल शेरगढ़ तहसील अटरू जिला बारां में ही प्रशासनिक कारणों से राज्यहित में रिक्त पद पर किया गया है। सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है।

5. इस प्रकार आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य